न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 86/2009

वादी :-
1. डोली बनाम मूर्ति महोदवजी वाके निम्बोल जरिए गोदावरी बेवा तेजनाथ, जाति-नाथ उम्र 65 निवासी-निम्बोल, तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-
1. मोतीराम पुत्र बरताराम
2. जुगाराम पुत्र बरताराम जाति-माली, निवासी-निम्बोल (बेरा बडला) तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.11.06.2009

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र गुर्रा एवं श्रीमति संगीता व्यास, अधिवक्तागण, वादी।
2 श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 03/11/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-निम्बोल, तहसील-जैतारण में वादी मूर्ति मन्दिर महादेव भगवान का एक अतिप्राचीन मन्दिर सेकडों वर्षो से यानि मानव स्मृति से परे समय से आबादी ग्राम-निम्बोल में स्थित हैं, जिसमें वादी भगवान महादेव की मूर्ति स्थापित की गई हैं, जिसकी सेवा व पूजा बतौर पुजारी के वर्तमान में वादिया पूर्व में वादीया के पति तेजनाथ पुत्र श्री जालानाथ वादिया के ससुर पर पिता ससुर के समय के वंश परम्परा अनुसार की जा रही है। मूर्ति भगवान महादेव जो इस मन्दिर के अधिन्नता है व कानूनी रुप से शासवत हैं। जिनकी और से बतौर पूजारी व नैक्सफैड द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादी मूर्ति महादेव कि मन्दिर की सेवा पूजा व भोग, दीप, आरती आदि आवश्यक कार्य व खर्चे के लिए तथा मूर्ति महादेव द्वारा डोली के रुप में एक कृर्षि भूमि खतौनी संख्या 223 खसरा संख्या 637 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दोयम रखी हुई थी। जो भूमि आज भी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में डोली बनाम मन्दिर महादेव खातेदार काश्तकार तेजनाथ पुत्र जालनाथ कौम-नाथ निवासी-निम्बोल के नाम दर्ज हैं। उक्त डोली की जमीन की उपज की आय से मूर्ति मन्दिर महादेव की सेवा पुजा भोग इत्यादि किया जाता है। उक्त मूर्ति महादेव इनके भोग का मालिक हैं। वर्तमान जमाबंदी खतौनी की दावे के साथ पेश की जा रही हैं। मूर्ति भगवान महादेव के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि को वाद-पत्र के आगे वादग्रस्त में कृर्षि भूमि के नाम से लिखा जायेगा। मूर्ति महोदव की सुबह शाम विविधत सेवा पूजा के लिए वंश परम्परा अनुसार वादिया के प्रपिता ससुर उनके बाद ससुर फिर वादिया के पति तेजनाथ व वादिया स्वयं डोली की वादग्रस्त कृर्षि भूमि को बोते और फसल व उपज से आय से मन्दिर की सेवा पूजा का खर्चा चलाते करीब दस वर्षो पूर्व वादिया के पति तेजनाथ का देहान्त हो गया व तथा पूजारी तेजनाथ व वादिया के जायन्दा संतान नहीं होने से तथा कोई निकटतम पुरुष रिश्तेदार नहीं होने से गत दस वर्षो से वादिया स्वयं ही मन्दिर मूर्ति भगवान महादेव की पूजा, सेवा, धूप, दीप, आरती इत्यादि बतौर, पूजारिन के विधिवत निर्वाद रुप से कर रही हैं। वर्ष

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

2007 में प्रतिवादीगण मोतीराम व जुगाराम ने वादिया को मौखिक तौर यह भरोसा व विश्वास दिलवाया कि वे लोग कातिसरा की फसल उस वर्ष बोयेगें तथा वादग्रस्त भूमि से प्राप्त पूजा, के खर्चे के लिए वादीया को अदा करेगें। तब वादीया के काश्त के लिए वादग्रस्त जमीन दे दी। प्रतिवादीगण वर्ष 2007 की फसल से प्रापत वाजिब हासल वादीया को सेवा पूजा के लिए अदा कर दिया। परन्तु वर्ष 2008 में प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन में कातिसरा की फसल बोई उसका वाजिब हासल मन्दिर की सेवा पूजा के लिए वादिया को अदा नहीं किया वादग्रस्त जमीन डोली के रुप में दर्ज हैं। जागीर पुर्न ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने समय यह विवादित जमीन मूर्ति मन्दिर भगवान महादेव के मिलके व खुद काश्त की जमीन थी व मूर्ति भगवान महादेव सारस्वत नाबालिग होने से उनकी जमीन में केवल हासल पर काश्त करने से प्रतिवादीगण को उक्त जमीन के खातेदारी करने से प्रतिवादीगण को उक्त जमीन के खातेदारी अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते काश्तकार के रुप में स्वर्गीय तेजनाथ का नाम दर्ज हैं। वह सही हैं। जैसा कि निवेदन किया जा चुका हैं। कि प्रतिवादीगण वर्ष 2008 में वादग्रस्त जमीन पर सेवा पूजा का वाजिब हासल नहीं दिया गया । तब इस वर्ष चूकिं वर्षा ऋतु का आगमन होने को हैं। और कातिसरा कि फसल बोने का समय निकट होने से दिनांक 02/06/2009 को वादीया ने दोनो प्रतिवादीगण को बुलाया और उनको कहां कि इस वर्ष वे लोग मन्दिर व डोली की जमीन पर न तो काश्त करे न कब्जा रखें। वादीया मूर्ति भगवान महादेव की सेवा पूजा के खर्चे के लिए स्वयं वादग्रस्त भूमि में काश्त करने फसल बोयेगी तब प्रतिवादीगण नाराज होकर इन्कार हो गये तथा उन्होने को ऐलानियां धमकी दी कि वे न तो वादग्रस्त भूमि का कब्जा छोडेगें, न वादिया को बतौर पुजारिन डोली की जमीन पर काश्त करने देगें। न कोई हासल राशि अदा करेगें। प्रतिवादीगण को जो कि वादग्रस्त भूमि पर बतौर अतिकमी व ट्रेस पासर के गैर कानूनी रुप से काबिज है व बिना किसी आधार व अधिकार के काबिज होने से उन्हे बेदखल करके वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रापित करने की वादीया कानूनी अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीया को सुपुर्द नहीं कर दिया जावें तब तक भूमि के लगान कि राशि का 15 गुना राशि दे बतौर हर्जाने के वादीया को प्रतिवादीगण से दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। ऐसी बेदखली कब्जा जमीन की डिकी वादीया प्राप्त करने की अधिकारी है तथा वादीया को प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने के पश्चात् प्रतिवादीगण वादीया के उक्त भूमि में काश्त व काश्त के मुतालिक तमाम कार्य करने में प्रतिवादीगण रोक टोक व दखलन्दाजी नहीं करे ऐसी स्थाई निषेधाज्ञा कि डिक्री की भी वादीया प्रतिवादीगण के विरुद्ध भी प्राप्त करने कि अधिकारी हैं। लिहाजा यह वादी बेदखली कब्जा जमीन का व कब्जा प्राप्त करने का व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत किया जा रहा हैं। मूर्ति मन्दिर भगवान महादेव ग्राम-निम्बोल में स्थित हैं, जो न्यायिक व्यक्ति है व अपना स्वयं का कार्य स्वयं नहीं कर पाने के कारण व साशस्वत नाबालिक होने के कारण व बतौर नेसफैड पूजारीन वादीया मूर्ति मन्दिर महादेव की और से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं, इस रुप से नाबालिक की और से वाद पेश करने की ईज्जाजत हेतु आदेश 32 नियम 4 का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र के साथ अलग से पेश किया जा रहा हैं। बिनाय दावा दिनांक 02/06/2009 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी मूर्ति मन्दिर महादेव डोली की जमीन की पैदावार का हिस्सा देने व जमीन को खाली कर कब्जा कर देने से ईन्कार करने की धमकी देने पर स्थान-निम्बोल,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तहसील–जैतारण जिला–पाली (राजस्थान) में पैदा होता है, जो अन्दर म्याद व इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण जबाब पेश करने का समय चाहते हैं। न्यायहित में प्रतिवादी को जबाब पेश करने का अन्तिम अवसर दिया गया। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और No Instruction Plead किया हैं। प्रति0 संख्या 1 व 2 बार–बार आवाजें दिलाई गई। प्रति0 बिना कोई सूचना / इतला के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण में खसरा संख्या 637 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाता हैं। प्रतिवादीगण ट्रेस पास्ट होने से उनके कब्जे की भूमि का कब्जा वादीया को दिलाया जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03.11.2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–निम्बोल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिग्री मामुकदमें इन्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण

पेईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. ठोली बनाम मूर्ति महोदवजी वाके निम्बोल जरिए गोदावरी बेवा तेजनाथ, जाति–नाथ उम्र 65 निवासी–निम्बोल, तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

1. मोतीराम पुत्र बरतराम
2. जुगाराम पुत्र बरतराम जाति–माली, निवासी–निम्बोल (बेरा बडला) तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राजस्थान)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — मु०न० :रा०वा० स०:86/2009

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री महेन्द्र मुर्रा एवं श्रीमति संगीता व्यास, अधिवक्तागण, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–निम्बोल, तहसील–जैतारण में खसरा संख्या 637 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से रोका जाता हैं। प्रतिवादीगण ट्रेस पास्ट होने से उनके कब्जे की भूमि का कब्जा वादीया को दिलाया जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/11/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01 – 00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मिजान:–		मिजान:–	

नोट:– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner